

पत्रांक:— BMSIC/80050/10-2017/

दिनांक:—...../07/2023

प्रेषक,

उपमहाप्रबंधक (मु0),
BMSICL, Patna

सेवामें,

यूनाईटेड इन्फ्रा एण्ड इन्डस्ट्रीज,
C/o बिनोद कुमार,
न्यू कॉलोनी, पंचुचक, दानापुर कैम्प, पटना

विषय:— स्वास्थ्य उपकेन्द्र, करुआ, रहिका, बेलाहाट, पोठिया, रामपुर, रामनगर, रोस्का कोशागढ़ एवं बिठनौली खेमचन्द, प्रखंड—के0 नगर, जिला पूर्णियाँ के भवन निर्माण कार्य के एकरारनामा को बन्द करते हुये कालीकृत करने के संबंध में।

प्रसंग:— इस कार्यालय का पत्रांक:—BMSIC/80050/10-2017/6606 दिनांक:—09.12.2021, 8446 दिनांक:—03.02.2022, 2556 दिनांक:—12.07.2022, 2940 दिनांक:—27.07.2022 एवं उप महाप्रबंधक (परि0), पूर्णियाँ/अररिया/किशनगंज/कटिहार के पत्रांक:—162 दिनांक:—13.01.2023

महाशय,

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्रों के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विषयांकित परियोजना का कार्यादेश दिनांक:—02.06.2017 को निर्गत किया गया है।

1. विदित है कि विषयांकित परियोजना के कार्य पूर्ण करने की तिथि (लगभग 46 माह) समाप्त हो जाने के उपरांत भी भवन निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया। जिसके संबंध में संबंधित उप महाप्रबंधक (परि0), पूर्णियाँ/अररिया/किशनगंज/कटिहार के द्वारा पत्र समर्पित किया गया, जिसमें बताया गया कि निर्माण कार्य 42 माह से अधिक समय से बंद है। प्राप्त पत्र के आलोक में निगम के पत्रांक:—BMSIC/80050/10-2017/6606, दिनांक:—09.12.2021 से स्पष्टीकरण पूछा गया।

2. विदित है कि उक्त स्पष्टीकरण के माध्यम से 07 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण समर्पित करने को कहा गया कि क्यों नहीं एकरारनामा के सुसंगत कंडिकाओं के अन्तर्गत आपके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करते हुए आपके निबंधन को डिबार/निलंबित कर दिया जाए, परन्तु खेद के साथ कहना है कि आपके द्वारा कोई प्रतिउत्तर समर्पित नहीं किया गया। साथ ही साथ संबंधित उप महाप्रबंधक (परि0), पूर्णियाँ/अररिया/किशनगंज/कटिहार के द्वारा भी स्पष्टीकरण पूछा गया परन्तु आपके द्वारा प्रतिउत्तर समर्पित नहीं किया गया।

3. निगम के द्वारा पूछे गये उपरोक्त स्पष्टीकरणों का प्रतिउत्तर समर्पित नहीं करने तथा भवन निर्माण का कार्य हेतु प्रदत्त अवधि विस्तार दिनांक:—26.11.2021 को बीत जाने के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं किया गया साथ ही अनावश्यक रूप से सभी कार्य को बन्द कर देने के फलस्वरूप निगम के पत्रांक:—BMSIC/80050/10-2017/8446 दिनांक:—03.02.2022 से एकरारनामा के कंडिका—3.3 एवं 4.8 के

अनुसार कार्य पूर्ण करने तक आपको किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित (Debar) किया गया।



4. उक्त विषयांकित परियोजना को 08 माह अर्थात् दिनांक:-26.11.2021 तक पूर्ण करना था, परन्तु कार्य समाप्ति की तिथि से 46 माह से अधिक व्यतीत हो जाने के बावजूद भी आपके द्वारा कार्य पूर्ण नहीं कराया गया तथा कार्य बन्द कर दिया गया, जो घोर लापरवाही एवं अनियमितता का द्योतक है।

5. निगम के पत्रांक:-BMSIC/80050/10-2017/2556 दिनांक:-12.07.2022 से शेष कार्य शीघ्र पूर्ण कराने अन्यथा एकरारनामा के सुसंगत कंडिकाओं के अंतर्गत आपके फर्म को काली सूची में दर्ज करते हुए नियमानुसार निगम में जमा अग्रधन की राशि एवं जमानत की राशि को जब्त करने हेतु पत्र दिया गया।

6. आपके फर्म को डिबार किये जाने के उपरांत भी आपके द्वारा कार्य पूर्ण करने में कोई रुचि नहीं दिखाई देने के फलस्वरूप निगम के पत्रांक:-BMSIC/80050/10-2018/2940 दिनांक:-27.07.2022 के द्वारा स्मार-पत्र के माध्यम से सात दिनों के अन्दर कारण पृच्छा समर्पित करने का निदेश दिया गया, परन्तु प्रतिउत्तर समर्पित नहीं किया गया।

7. कार्य प्रारंभ करने हेतु पूछे गये स्पष्टीकरण का प्रतिउत्तर समर्पित नहीं करने के फलस्वरूप क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक (परियोजना), पूर्णियाँ प्रमंडल द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक:- BMSICL/PUR-Div/162 दिनांक:-13.01.2023 के माध्यम से संवेदक यथा यूनाईटेड इन्फ्रा एण्ड इन्डस्ट्रीज, न्यू कॉलोनी, पंचुचक, दानापुर कैम्प, दानापुर, पटना को कालीकृत कर सुरक्षित जमा राशि जब्त करते हुए साथ ही साथ संपादित एकरारनामा को विखंडित कर संवेदक के **Risk & Cost** पर पुनर्निविदा करने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों की समीक्षा एवं क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक (परियोजना), पूर्णियाँ प्रमंडल से प्राप्त मंतव्य के आलोक में आपके **Firm** को (यूनाईटेड इन्फ्रा एण्ड इन्डस्ट्रीज, न्यू कॉलोनी, पंचुचक, दानापुर कैम्प, दानापुर, पटना) को पत्र निर्गत की तिथि से 03 वर्षों के लिए बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका-11(क) (vii) के आलोक में कालीकृत किया जाता है। साथ ही एकरारनामा की कंडिका 14 (vi) के आलोक में आपके **Risk & Cost** पर एकरारनामा संख्या:- HSC/SBD/175/2017-18 date 15.05.2017 को विखंडित किया जाता है।

इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/-

उपमहाप्रबंधक (मु0)

ज्ञापक:- BMSIC/80050/10-2017/

दिनांक:-...../07/2023

प्रतिलिपि:- मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)/ महाप्रबंधक (परि0)/महाप्रबंधक (वित्त)/सभी क्षेत्रीय उपमहाप्रबंधक (परि0), बी0 एम0 एस0 आई0 सी0 एल0, पटना/पर्यवेक्षण परामर्शी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

उपमहाप्रबंधक (मु0)

ज्ञापांक:- BMSIC/80050/10-2017/

दिनांक:-...../07/2023

प्रतिलिपि:-सिविल सर्जन, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

उपमहाप्रबंधक (मु0)

ज्ञापांक:- BMSIC/80050/10-2017/

दिनांक:-...../07/2023

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सादर सूचनार्थ समर्पित।

ह0/-

उपमहाप्रबंधक (मु0)

ज्ञापांक:- BMSIC/80050/10-2017/

दिनांक:-...../07/2023

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुल निर्माण निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, भवन निर्माण निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पर्यटन विकास निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना एवं सभी कार्य विभाग को सादर सूचनार्थ समर्पित।

ह0/-

उपमहाप्रबंधक (मु0)

ज्ञापांक:- BMSIC/80050/10-2017/

दिनांक:-...../07/2023

प्रतिलिपि:-प्रबंध निदेशक, बी0एम0एस0आई0सी0एल0, पटना के आशुलिपिक को प्रबंध निदेशक महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

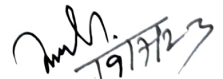
ह0/-

उपमहाप्रबंधक (मु0)

ज्ञापांक:- BMSIC/80050/10-2017/3214

दिनांक:-...21.../07/2023

प्रतिलिपि:-श्री मोहित कुमार, प्रबंधक (सिस्टम), बी0एम0एस0आई0सी0एल0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त के आलोक में पत्र को बी0एम0एस0आई0सी0एल0 के वेबसाइट पर संवेदक के कालीकृत लिस्ट में प्रकाशित किया जाए।


उपमहाप्रबंधक (मु0)